

मनरेगा के तहत कार्य करवाने के लिये जरुरी दस्तावेज

1. जमाबंदी / फर्द
2. ततीमा (जहां पर कार्य करवाना है)
3. स्टाम्प पेपर (10 या 20 रुपए वाला जिसमें पिछली तरफ को लाभार्थी का पूरा नाम पता हो)
4. जहाँ पर कार्य करवाना हो उस जगह कि फोटो
5. अगर आपका गौशाला निर्माण का कार्य है तो कृपया पशुपालन विभाग से प्रमाण पत्र लायें कि आपके पास पशु हैं ।
6. अगर आप सामान्य वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तो पटवारी से लघु /सीमान्त श्रेणी का प्रमाण पत्र लायें ।
7. एक फाइल जिसमें गते वाला कवर हो ।
8. सही प्रकार से भरा हुआ फॉर्म - 4 (सम्बंधित पंचायत से खाली फॉर्म प्राप्त करें)
9. फाइल के उपर अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें ।

जिन लाभार्थियों की उपर लिखी औपचारिकतायें पूरी होंगी केवल वही फाइल स्वीकार कि जाएगी ।